न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः– 820/2019

1. दर्शन सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. गुरदेव सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. जसविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी फुलो तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. मिठू सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी फुलो तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. कुलविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री मल सिंह पत्नि बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
4. मनजिन्द्र कौर पुत्री मल सिंह पत्नि बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी मखा (पिपली) जिला सिरसा (हरियाणा)
5. मनिन्द्र कौर पुत्र मल सिंह पत्नि मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी मखा (पिपली) जिला सिरसा (हरियाणा)
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
8. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
188 आरटीए

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण
1. श्री कुन्दन लाल चुघ अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री मोहित चुघ अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 7
3. राजपैरोकार — प्रतिवादी संख्या 8

निर्णय — दिनांक 16.12.19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से चक न0 6 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या 28/72 की मु0न0 20 किला न0 21/2, 22 ता 15 की 1.175 हैक्टर मु0न0 33 किला न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 की 5.060 हैक्टर मु0न0 34 किला न0 3, 8, 18, 23 की 1.012 हैक्टर कुल 7.247 हैक्टर नकल जमाबंदी संलग्न वादपत्र है। वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता जरनेल सिंह व वादी संख्या 3 के ससुर जरनेल सिंह पुत्र हरनाम सिंह उर्फ निमा सिंह के नाम से चक न0 6 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या 28/72 की 7.247 हैक्टर कृषि भूमि थी। वादी संख्या 1 व 2 के पिता जरनेल सिंह व माता मुख्तयार कौर की मृत्यु हो चुकी है। जरनेल सिंह व मुख्तयार कौर की मृत्यु उपरान्त जरनेल सिंह के विधिक वारिस दर्शन सिंह, गुरदेव सिंह, बलदेव सिंह, गुरदेव कौर थे। जिनमें बलदेव सिंह व गुरदेव कौर की मृत्यु हो चुकी है। बलदेव सिंह की पत्नि

Scanned by CamScanner

जसविन्द्र कौर, बलदेव सिंह की विधिक वारिस है। गुरदेव कौर की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान जगसीर सिंह, मिठू सिंह, कुलविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर, मनजिन्द्र कौर व मनिन्द्र कौर है। जरनेल सिंह की मृत्यु उपरान्त चक न0 6 बी एन डब्लयू की खाता संख्या 28/72 की 7.247 हैक्टर कृषि भूमि मुख्तयार कौर पत्नि जरनेल सिंह, दर्शन सिंह, गुरदेव सिंह पिसरान जरनेल सिंह, गुरदेव कौर पुत्री जरनेल सिंह के नाम से 5.798 हैक्टर व जसविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह, गुरसेवक सिंह पुत्र बलदेव सिंह, बलवीर कौर पुत्री बलदेव सिंह के नाम से 1.409 हैक्टर कृषि भूमि विरासतन दर्ज हुई। विरासतन प्राप्त कृषि भूमि में से दर्शन सिंह ने 0.152 हैक्टर व गुरसेवक सिंह ने 0.253 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान सुखजिन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह, साहब सिंह पुत्र ठाना सिंह, जसकरन सिंह पुत्र नायब सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली को कर दिया। मुख्तयार कौर की मृत्यु होने पर मुख्तयार कौर के नाम की कृषि भूमि मुख्तयार कौर के विधिक वारिसान के नाम से व गुरदेव कौर की मृत्यु होने पर गुरदेव कौर के विधिक वारिसान के नाम से एवं बलदेव सिंह के फौत होने पर बलदेव सिंह के विधिक वारिसान के नाम से कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई। बलदेव सिंह के विधिक वारिसान वीरपाल कौर ने 0.483 हैक्टर कृषि भूमि का बेचान जोगेन्द्र सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली को कर दिया। गुरदेव कौर पुत्री जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी फुलो ने अपने पिता जरनेल सिंह के नाम की कृषि भूमि में कभी अपना हक नही जताया। गुरदेव कौर ने अपने जीवनकाल में अपने पिता के नाम की 1.812 हैक्टर कृषि भूमि अपने तीनो भाईयो दर्शन सिंह, गुरदेव सिंह व बलदेव सिंह के हक में छोड दी थी। गुरदेव कौर किसी कारणवश अपने भाईयो के हक में दस्तबरदारी नही करवा सकी ओर गुरदेव कौर की मृत्यु हो गयी तत्पशचात् गुरदेव कौर की मृत्यु होने पर गुरदेव कौर को विरासतन प्राप्त कृषि भमि गुरदेव कौर के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। गुरदेव कौर की मृत्यु उपरान्त जगसीर सिंह मिठू सिंह, कुलविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर, मनजिन्द्र कौर, मनिन्द्र कौर ने चक न0 6 बी एन डब्लयू तहसील सादुलशहर की खाता संख्या 28/72 की 1.812 हैक्टर कृषि भूमि में कभी अपना हक नही जताया। उक्त भूमि पर गत 25–30 वर्षो से दर्शन सिंह, गुरदेव सिंह, जसविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह की कब्जा काश्त में चली आ रही है। वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण ने कभी दखलन्दाजी नही की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने अपना हक वादीगण के हक में अपनी माता के समय ही छोड दिया था। गुरदेव कौर को विरासतन प्राप्त कृषि भूमि में गुरदेव कौर व उसके वारिसान द्वारा कभी हक नही जताने पर हम वादीगण संख्या 1 ता 3 चक न0 6 बी एन डब्लयू की खाता संख्या 28/72 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम की कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार हो गये। राजस्व रिकार्ड में वादीगण की कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज होने पर वादीगण के अधिकारो पर प्रतिकूल असर है। वादीगण यह घोषणा पाने के अधिकारी है कि वे चक न0 6 बी एन डब्लयू की जमाबंदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 28/72 में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज 1.812 हैक्टर कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के नाम से दर्ज होने पर वे उक्त भूमि को रहन, बैय एवं हस्तान्तरण कर सकते है। जिससे हम वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान पहुंचेगा। जिसकी क्षति–पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना संभव नही है। वादीगण ने आज से एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कहा कि आप हमारे नाम से वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे। लेकिन प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही विनाय मुखास्मत दावा है।

वादपत्र वादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादिर डिक्री किया जावे। चक न0 6 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या 28/72 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम की 1.812 हैक्टर कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादीगण के नाम से उक्त भूमि का अंकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। वादीगण की कब्जा काश्त कि चक न0 6 बी एन डब्लयू की खाता संख्या 28/72 की 1.812 हैक्टर रकबा कृषि भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दजी करने से व बैय, रहन, हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री मोहित चुघ ने वकालतनामा पेश किया व इकबाल दावा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8 की तरफ से जवाब स्टेट पेश हुआ कि राज्य हित को मध्य नजर रखते

उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

हुए वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही होगा। वादपत्र में किसी प्रकार का विरोध नही होने पर बहस उभय पक्ष की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र को इकबाल दावा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने एंव बहस सुनने के उपरान्त निष्कर्ष है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण की बहन गुरदेव कौर ने अपने पिता जरनैल सिंह के नाम की कृषि भूमि में कभी अपना हक नही जताया गुरदेव कौर ने अपने जीवनकाल में अपने पिता जरनैल सिंह से प्राप्त 1.812 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के हक में छोड दी थी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 गुरदेव कौर के विधिक वारिस है जिन्होने इकबाल दावा पेश कर वादपत्र की ताईद की है। वादीगण के कथनो पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपनी सहमति प्रकट की है तथा वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा को दस्तावेजी साक्ष्य, इकबाल दावा एवं बहस के आधार पर बखूबी साबित किया है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण मुताबिक इकबाल दावा से स्वीकार कर लिये जाने पर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 6 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या 28/72 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम की 1.812 हैक्टर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादीगण के नाम से उक्त भूमि का अंकन बहिस्सा बराबर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेश मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन होने के स्थिती मे बैंक रहन फक होने पर औदेश की पालना की जावे। तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ पत्र जारी हो। उक्तानुसार ही डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/12/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:– 820/2019

1. दर्शन सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. गुरदेव सिंह पुत्र जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. जसविन्द्र कौर पत्नि बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जगसीर सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी फुलो तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. मिठू सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी फुलो तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. कुलविन्द्र कौर उर्फ जसविन्द्र कौर पुत्री मल सिंह पत्नि बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)
4. मनजिन्द्र कौर पुत्री मल सिंह पत्नि बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी मखा (पिपली) जिला सिरसा (हरियाणा)
5. मनिन्द्र कौर पुत्र मल सिंह पत्नि मनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी मखा (पिपली) जिला सिरसा (हरियाणा)
6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
7. शाखा प्रबन्धक पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा बनवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
8. तहसीलदार राजस्व सादुलशहर तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,
188 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुन्दन लाल चुघ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मोहित चुघ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं राजपैरोकार स्टेट प्रतिवादी संख्या 8 मिन जामिन मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक न0 6 बी एन डब्ल्यू तहसील सादुलशहर की जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 खाता संख्या 28/12 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम की 1.812 हैक्टर कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। वादीगण के नाम से उक्त भूमि का अंकन बहिस्सा बराबर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किया जावे। उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। डिक्री मे वर्णित भूमि पर बैंक रहन की स्थिती मेंबैंक रहन फक होने पर आदेश की पालना की जावे। तहसीलदार को पालनार्थ पत्र जारी हो।

बसबत मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 16/12/19 को जारी की गई।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:36:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: